**उत्तर प्रदेश शासन**

**वित्त (लेखा) अनुभाग-2**

**संख्या-2/2015/ए-2-3039/दस-2015-24(15)/95**

**लखनऊ, दिनांक 05 अगस्त, 2015**

**कार्यालय-ज्ञाप**

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की समीक्षा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, 6 तथा 7 में यथावश्यक संशोधन के संदर्भ में संस्तुति देने हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-383/दस-2010-24(6)/2004 दिनांक 18 जून, 2010 द्वारा कोष्ठक का गठन किया गया था। उक्त कोष्ठक के अध्यक्ष (डा0बी0एम0जोशी) एवं सदस्य (श्री पी0पी0बैरिया तथा श्री आर0के0वर्मा) के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त कोष्ठक का गठन अब निम्नवत किया जाता है:-

1- सचिव, वित्त — अध्यक्ष
(श्री मुकेश मित्तल)

2- वित्तीय सलाहकार (बजट) — सदस्य
(श्री लहरी यादव)

3- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, — सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश,लखनऊ — सदस्य

5- विशेष सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग-1 — सदस्य-संयोजक
तथा (लेखा) अनुभाग-2 (श्री राजीव श्रीवास्तव)

2- समस्त प्रशा0विभाग विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन में परिवर्तन अथवा परिवर्धन हेतु अपने संहत सुझाव/प्रस्ताव उक्त कोष्ठक के विचारार्थ छः प्रतियों में प्रेषित करेगें और बैठक आहूत किये जाने पर अपने विभाग के प्रतिनिधि (जो कि विशेष सचिव के स्तर से नीचे का न हो) सम्पूर्ण सूचना सहित बैठक में भाग लेने हेतु भेजेंगे।

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव।

**संख्या-2/2015/ए-2-3039(1)/दस-2015-24(15)/95, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) कोष्ठक के अध्यक्ष एवं सदस्य।

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic